स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 79, दिनांक 11–03–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब/मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना व जनपद बांदा से 50,000/– रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10–03–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद बांदा थाना बबेरू में पंजीकृत मु0अ0सं0 355/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष को हरियाणा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– मनीष पुत्र जगवीर निवासी ग्राम डालयान पन्ना, डीघल थाना दुजाना जनपद झज्जर हरियाणा।

बरामदगीः

1– अदद मोबाइल फोन टप्ट० लाइट ग्रीन।
2– 01 अदद आधार कार्ड।
3– 230 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

स्वास्तिक धर्मकांटा निकट आइरिस होटल के सामने सड़क पर थाना शहर सिरसा जनपद हरियाणा दिनांक 10–03–2024 समय 18:30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की टीम द्वारा इस सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें ज्ञात हुआ कि दिनांक 16–07–2023 को थाना क्षेत्र बबेरू जनपद बॉदा में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मनीष निवासी हरियाणा वांछित है। वांछित अभियुक्त मनीष के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि वह हरियाणा में रहता है। जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा हरियाणा पहुॅचकर दिनांक 10–03–2024 को पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष उपरोक्त को स्वास्तिक धर्मकांटा निकट आइरिस होटल के सामने सड़क पर थाना शहर सिरसा से गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूँछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों का गॉजा तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसमें सरगना रिन्कू राठी, राकेश प्रमुख रूप से कार्य करते है। हम लोग अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए यह कार्य विगत चार–पॉच वर्षो से कर रहे है। उ0प्र0 के बॉदा, चित्रकूट, फतेहपुर, मेरठ, गाजियाबाद के अतिरिक्त दिल्ली व हरियाणा में भी गॉजे की तस्करी करते है। इस काम से जो भी कमाई होती है उसे हम लोग आपस में बॉट लेते है तथा हम लोगों द्वारा मादक पदार्थ की खेप ले जाने वाले व्यक्तियों को प्रति चक्कर एक लाख रूपये दिया जाता है। दिनांक 16–07–2023 को बरहमपुर उड़ीसा से प्लास्टिक स्कैप व खाली गत्तों में गांजा छिपाकर गाड़ी लोड कर सहयोगी/सदस्य यशपाल सिंह व बिल्लू उर्फ बीर सिंह को मेरे द्वारा माल लेकर बॉदा पहुँचने को कहा गया था। बॉदा पहुँचने पर उन लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

जनपद बांदा के थाना बबेरू में पंजीकृत मु0अ0सं0–355/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभि0 मनीष उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना क्षेत्र शहर सिरसा जनपद सिरसा, हरियाणा में दाखिल किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष को मा0 न्यायालय सीजेएम, सिरसा, हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है, जिनका ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर सम्बन्धित थाना बबेरू, जनपद बांदा, उ0प्र0 में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	575/17	20 एनडीपीएस एक्ट	शिवाजी कालोनी	रोहतक, हरियाणा
2	355/23	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट**(वांछित)**	बबेरू	बांदा, उ0प्र0